मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) परीक्षा -2019

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना

प्रश्नपत्र	पूर्णांक	अवधि
खण्ड "अ" - मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान	150	3 घंटे
खण्ड "ब" - कृषि	300	
योग	450	
साक्षात्कार	50	
कुल अंक	**500**	

(ब) प्रश्नपत्र योजना

1. खण्ड (अ) विषय- मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान-10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, इस प्रकार खण्ड-अ में 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड-(ब) में विषय से संबंधित प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगें। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगें। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकां का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंकों का होगा।
2. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प **(A,B,C,D)** होगें। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा।
3. प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का खण्ड 'अ' के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। खण्ड 'ब' में संबंधित विषय के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 03 अंको का होगा।
4. प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे- भाग-(अ) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक एवं भाग-(ब) विषय से संबंधित 40 प्रतिशत अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खण्डों के अंकों को जोडकर बनेगी। ऑनलाईन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन **(3R-W)**= प्राप्तांक पद्धति से होगा।

   {R= सही उत्तरों की संख्या, **W=** गलत उत्तरों की संख्या**}**

   अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिये 3 अंक प्रदाय किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काटा जावेगा।
5. प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में होगा।
6. साक्षात्कार:- साक्षात्कार 50 अंको का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णाक निर्धारित नहीं है।

(स) चयन प्रक्रिया

1. चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा।
3. परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक खण्ड 'अ' तथा खण्ड -'ब' में पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरान्त अर्ह पाये जायेंगें।
5. साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल/**SMS**

द्वारा सूचना भेजी जावेगी। आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mpppsc.com** पर भी उपलब्ध रहेगा। ।

6. उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम आधार पर होगा।
7. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक